न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण सं0–अपील डिक्री/टीए/498/2006/हनुमानगढ़</u>

1– मु0 सिंगारी पत्नि चन्दूराम पुत्री दूलाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी केशव कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस के पास, रायला मण्डी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ।।

–अपीलांट

बनाम

1– बीरबलराम,

2– बनवारीलाल(मृतक) जरिये वारिसानः:–

2/1–मु0 कलावती पत्नि

2/2– शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल

2/3–रामनिवास पुत्र बनवारीलाल

2/4–पालाराम पुत्र बनवारीलाल

2/5– ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल

2/6– सुलोचना पुत्री बनवारीलाल

2/7–राजो पुत्री बनवारीलाल

2/8–विमला पुत्री बनवारीलाल

2/9–धापा पुत्री बनवारीलाल निवासियान ग्राम गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

3– मु0 कलावती (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1– ओम प्रकाश

3/2–सतपाल

3/3–रामनारायण पुत्रगण कालूराम

3/4– गीतादेवी

3/5–मनोहरी देवी

3/6–लाली देवी

3/7–बादू देवी पुत्रियान कालूराम

4– मु0 दानी पत्नि प्रयागराम पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहम्ण, निवासी कानोर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

5– चन्द्रमुखी पत्नि अमीलाल पुत्री दुलाराम उर्फ दूलीचंद, जाति ब्राहमण, निवासी दर्जीयो वाली गली के पास, फतियाबाद, तह0 फतियाबाद, जिला हिसार (हरियाणा)

6– अंग्रेज सिंह पुत्र लालसिंह, जाति जट सिख, निवासी ग्राम लालगढ़, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।

7– प्रीतमसिंह पुत्र फूमनसिंह, जाति कुम्हार, निवासी लालगढ़, तह0 सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।

8– तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोर्डेंट्स

खण्डपीठ

मंजू राजपाल, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0पी0 मोदी, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

श्री लूणकरण पंडया, अधिवक्ता रेस्पोर्डेट नं01 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–08.04.2022

अपीलांट ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2- अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के न्यायालय में कुल चार वाद प्रस्तुत किए गए। बीरबलराम के द्वारा धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 बाबत् खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद संख्या 384/99, बीरबलराम के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 76/99, अंग्रेजसिंह व प्रीतमसिंह के द्वारा धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद संख्या 77/99 तथा मु0 सिंगारी के द्वारा धारा 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 42/89 पेश किये । प्रस्तुत चारों वादों में वादग्रस्त भूमि चक 23 जे.के.आर. की 5.502 हैक्टर एवं चक 3 एच.डी.पी. की 12.903 हैक्टर कुल 18.405 हैक्टर भूमि निहित है एवं पक्षकारान समान होने से विद्वान परीक्षण न्यायलय ने सभी दावों को वाद संख्या 384/99 में समेकित करने का आदेश दिया। वाद संख्या 384/99 में दिनांक 19.2.2003 को तनकीयात कायम की जा चुकी थी, परन्तु उक्त वाद में अन्य तीन वाद को समेकित किया गया था इसलिये दिनांक 28.5.2003 को अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात् विद्वान परीक्षण न्यायलय ने पक्षकारान से शहादत सबूत लेकर एवं बाद सुनवाई अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2004 द्वारा वाद संख्या 384/99 एवं वाद संख्या 76/99 को डिक्री किया एवं वाद संख्या 77/99 एवं वाद संख्या 42/89 को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004 के विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पृथक-पृथक तीन अपीलें

एवं अपीलांट के द्वारा क्रोस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने उक्त तीनों अपीलों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रोस आब्जेक्शन को अवैधानिक रूप से अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2005 के द्वारा निरस्त कर दिये । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलांट के क्रोस ऑब्जेक्शन को निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2005 के द्वारा खारिज किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 को साबित करने का दायित्व वादी बीरबलराम पर था, परन्तु उसके द्वारा किसी भी शहादत से उक्त तनकी को साबित नहीं कराया गया जबकि उक्त तनकी को साबित करने हेतु सर्वप्रथम वादी को यह साबित करना था कि क्या वादग्रस्त भूमि श्रीराम के खातेदारी की थी ? श्रीराम का देहान्त कब हुआ और वादग्रस्त भूमि दुलाराम के नाम कब दर्ज हुई ? क्या वादी का जन्म श्रीराम के जीवनकाल में हो चुका था। अर्थात् बरवक्त देहान्त श्री राम वादीगण का जन्म हो चुका था ? जब तक उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को वादी द्वारा साबित नहीं करा दिया जाता है तब तक उक्त तनकी को ना तो साबित माना जा सकता है ना ही वादी के पक्ष में निर्णित ही की जा सकती थी । परन्तु उक्त समग्र स्थिति को नजरअंदाज कर मात्र वादग्रस्त भूमि श्री राम की होने एवं वादी को उसका पोता होने के आधार पर साबित होना मानने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी त्रुटि कारित की है । श्री राम के देहान्त के उपरांत विरासत खुली, तत्समय वादी का अस्तित्व ही नहीं था अर्थात् उसका जन्म ही नहीं हुआ था और श्री राम का एक मात्र वारिस

दुलाराम ही था । इसी कारण वादग्रस्त भूमि दुलाराम के नाम दर्ज की गई थी । इसलिये जब वादी श्री राम के देहान्त के समय जन्मा ही नहीं था तो फिर उसका पैतृक भूमि में जन्म से अधिकार उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, परन्तु उक्त महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु को बिना विवेचित किये सरसरी तौर पर वादी को वादग्रस्त भूमि में दुलाराम का सह–हिस्सेदार घोषित करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी त्रुटि की है। वादी केवल मात्र श्रीमती सोना के वारिसान की हैसियत से ही वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार हक प्राप्त करने के अधिकारी है।तनकी संख्या 2 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र तनकी संख्या 1 पर पर पारित अविधिक आदेश का अवलम्बन लेकर वादी के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । श्री राम के देहान्त के समय वादी का जन्म ही नहीं हुआ था और एकमात्र वारिस दुलाराम ही था, उसी के नाम इन्तकाल तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । इसलिये दुलाराम को अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में समस्त पैतृक एवं हस्तातंरण के अधिकार प्राप्त थे तथा दुलाराम ने अपने इन्हीं हक, अधिकारों के तहत अपनी पत्नि मु0 सोना के नाम रजिस्टर्ड तमलीकनामा निष्पादित किया जो विधि सम्मत् है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रजिस्टर्ड डीड की वैधता पर सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को ही है। बहस में आगे कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 लगायत 7 को मात्र तनकी संख्या–1 के प्रभाव के तहत प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं है वरन् संपूर्ण भूमि दुलाराम के खातेदारी की थी जिसने साधिकार अपनी खातेदारी भूमि अपनी पत्नि मु0 सोना को रजिस्टर्ड तमलीकनामा दिनांक 30.5.1953 के द्वारा सुपुर्द की एवं मु0 सोना हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव होते समय वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार,मालिक काबिज थी। इसलिये धारा 14 हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 और धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही खातेदार होकर वादग्रस्त भूमि की पूर्ण मालिक हो गई तथा मु0 सोना के देहांत उपरांत उसके समस्त वारिसान धारा 15 और 16 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्राव–धानानुसार बराबर–बराबर हक प्राप्त करने के अधिकारी हुए । इसलिये प्रत्येक वारिस के नाम विरासत के आधर पर विधिसम्मत् तौर पर 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज की गई थी, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने संपूर्ण तथ्यों को विधि एवं अभिलेख पर उपलब्ध शहादत से परे जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो अविधिक होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना साबित नहीं कराया, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के सह–खातेदार एवं एक सह–खातेदार का कब्जा सभी सह–खातेदार का कब्जा माना जाता है। वादी ने अपने वाद में कब्जा दिलाने की मांग की है, परन्तु उक्त स्थिति को दरकिनार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायलयों ने जो आदेश जेर अपील पारित किए है वे अविधिक होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2005 एवं विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2004 को निरस्त कर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावें । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2012 (1) आर0आर0टी0 पेज 673 डी0बी0,2020(2) आर0 आर0 टी0 पेज 998 सुप्रीम कोर्ट एल0बी0 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5– प्रकरण में अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात पर विचारण किया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–10–2005 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–1–2004 को यथावत रखा गया है। प्रकरण में विवाद का बिन्दु दुलाराम द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की माता मु0 सोना के पक्ष में दिनांक 30–5–1953 के रजिस्टर्ड तमलीकनामे के आधार पर विवादित आराजी के समस्त हक का त्याग करने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–06–2004 के द्वारा उक्त भूमि को प्रदर्श–4 खतौनी दरमियानी सम्वत् 1992 के अनुसार श्रीराम पुत्र भीखाराम के नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त आराजियात को दुलाराम की स्वअर्जित संपति न मानते हुए विरासत से प्राप्त होना प्रमाणित माना है। अपीलार्थी ने प्रथम एवं द्वितीय अपील में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्स्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो इस प्रदर्श से प्रमाणित तथ्य के विरुद्ध हो। विवादित आराजी के पैतृक आराजी सिद्ध होने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–1के विधिक विवेचन अनुरुप दिनांक 30–5–1953 को दुलाराम द्वारा कराए गए तमलीकनामे को बिना अधिकार माना है। पैतृक सम्पत्ति में अपने 1/3 हिस्से की हद से बाहर जाकर सम्पूर्ण भूमि के तमलीकनामे दिनांक 30–5–1953 को विधि शून्य न माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि विवादित आराजी दुलाराम की स्वअर्जित भूमि साबित हो, जो प्रदर्श 4 के कारण साबित नहीं हो पाई अतः अपने अधिकार से बाहर जाकर किए गए तमलीकनामे को तनकी नम्बर 2 में वादी के अधिकारों व हितों के सम्बन्ध में प्रभावहीन मानने का विवेचन अधीनस्थ व अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक मंशा के अनुरुप है। प्रतिवादिया 2 ता 5, जो वादी व प्रतिवादी की सगी बहने हैं, उनके द्वारा हक –हिस्से के त्याग का अभिवचन किसी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट न पाए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी

नम्बर 3 को वादी के विरुद्ध विधिवत निर्णीत किया है, जिसे इस न्यायालय के अभिमत में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31-10-2005 में यथावत रखे जाने में कोई विधि विरुद्ध निर्णय नहीं किया है। शेष तनकीयात 4 ता 8 एवं अतिरिक्त तनंकी 1 ता 3 का विवेचन सारभूत रुप से इस तथ्य पर आधारित है कि वादी व प्रतिवादी 1ता 5 निर्विवाद रुप से दुलाराम के विधिक वारिसान हैं एवं दुलाराम द्वारा विवादित आराजी में अपने 1/3 पैतृक हिस्से के प्रमाणित होने पर सम्पूर्ण आराजी बाबत अपनी पत्नी व प्रतिवादीगण/वादी की माता मु0 सोना के पक्ष में तमलीकनामा दिनांक 30-5-1953 को विधिशून्य पाए जाने से वादी व प्रतिवादी 1ता5 की हद तक निष्प्रभावी मानते हुए तकलीनामे के अथवा मौखिक आधार पर प्रतिवादी नम्बर 5 को विवादित आराजी में 12.05 बीघा भूमि पर काबिज होने से अपने 1/6 हिस्से की हद के बाहर जाकर किए बयनामे को प्रभावशून्य करार करने के उभय न्यायालय के निर्णयों को विधिविरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

6- अपीलांट से यह अपेक्षित है कि अधीनस्थ एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उभय निर्णयों के सारभूत तथ्यों को विधि विरुद्ध निर्णीत मानते हुए चुनौती दिये जाने पर यह किसी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करते कि विवादित आराजी स्वयं दुलाराम को अपने पिता श्रीराम पुत्र भीखाराम से प्राप्त होने के स्थान पर स्वअर्जित है ताकि विवादित आराजी बाबत दिनांक 30-05-1953 को पंजीबद्ध तमलीकनामे को विधिवत मानने पर विचारण किया जा सके। अपीलांट द्वारा इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल पाए जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16-01-2004 को पारित निर्णय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विधिक रुप से विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक

31–10–2005 द्वारा यथावत रखने के समवर्ती निर्णयों (concurrent decision) में दखलंदाजी का यह न्यायालय कोई औचित्य नहीं देखती है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2005 एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–01–2004 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(मंजू राजपाल)
सदस्य